11.7.2024

निबंधित 24.7.2024

फर्द अहकाम

(नियम 15)

2024/420

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

इस्लाम बनाम रिमजान आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 301 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
01.07.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 08.07.2024 को पेश हो।	
08.7.2024	बुलाए प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने अपने वकील हितेश कुमार शर्मा उपस्थित आकर जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब अग्रिम तारीख 11-7-2024 को पेश हो।	रमजान उम्मत सलाम साजन खान ता. वर्ती 10485
11.7.2024	बुलाए प्रतिवादीगण उपस्थित/PH साहब अस्वस्थ मे. 0484 है। पत्रावली स्टेट जवाब प्राप्त वास्ते बहस दिनांक 24.7.2024 को पेश हो।	
24.7.2024	बुलाए प्रतिवादीगण उपस्थित। बहस मुतरिफैन पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय आदि प्रतिवादी की सहमति के आधार पर वाद वादी द्विपक्षीय डिक्री किया जाता है। वादी विवरण सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल फाईल किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाकर वाद तामिल तक फाईल जाना दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.26 20:20:40 IST
Reason: SelfAttested